



वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

File No. SEEPZ-SEZ/EMS/RLR/2014-15/05678 Date: 02-06-2026

परिपत्र संख्या / Circular No. 01

विषय: सीपज़-सेज़ में यूनिट धारकों और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर लागू सेवा शुल्कों का संशोधन और युक्तिकरण।

Sub: Revision and Rationalization of Service Charges applicable to Unit Holders and Public Utility Services in SEEPZ-SEZ.

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 01 दिनांक 22.06.2017 तथा परिपत्र संख्या 31 दिनांक 11.04.2017 के स्थान पर, यह सूचित किया जाता है कि सीपज़-सेज़ प्राधिकरण ने अपनी दिनांक 07.04.2026 को आयोजित बैठक में सीपज़-सेज़ के अंतर्गत लागू सेवा शुल्कों के संशोधन एवं युक्तिसंगतीकरण के प्रस्ताव पर विचार कर उसे अनुमोदित किया है।

In supersession of this office Circular No. 01 dated 22.06.2017 and Circular No. 31 dated 11.04.2017 on the subject cited above, it is hereby informed that the SEEPZ-SEZ Authority, in its meeting held on 07.04.2026, has considered and approved the proposal for revision and rationalization of service charges applicable within SEEPZ-SEZ.

2. उपर्युक्त अनुमोदन के अनुसरण में, सेवा शुल्क को मौजूदा दर ₹250/- (केवल दो सौ पचास रुपये) प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष से संशोधित करके ₹350/- (केवल तीन सौ पचास रुपये) प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष कर दिया गया है, जिससे इसमें ₹100/- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है।

2. Pursuant to the above approval, the service charges have been revised from the existing rate of ₹250/- (Rupees Two Hundred and Fifty only) per sq. mtr. per annum to ₹350/- (Rupees Three Hundred and Fifty only) per sq. mtr. per annum, thereby effecting an increase of ₹100/- per sq. mtr. per annum.

3. संशोधित सेवा शुल्क सभी यूनिट धारकों पर समान रूप से लागू होंगे, जिसमें सीपज़-सेज़ के भीतर कार्यरत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाएँ भी शामिल हैं।

3. The revised service charges shall be uniformly applicable to all Unit Holders, including entities providing Public Utility Services, operating within the SEEPZ-SEZ.

4 . उपर्युक्त संशोधन 01.04.2026 से प्रभावी होगा और उक्त तिथि से सभी वर्तमान तथा भविष्य के बिलिंग चक्रों पर लागू होगा।

5 . सभी संबंधित हितधारकों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त संशोधन का संज्ञान लें और उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। संबंधित अनुभाग संशोधित दरों को लागू करने के लिए तदनुसार आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

6. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

4. The aforesaid revision shall **come into force with effect from 01.04.2026** and shall be applicable to all current and future billing cycles from the said date.

5. All concerned stakeholders are hereby advised to take note of the above revision and ensure strict compliance. The concerned sections shall make necessary arrangements to implement the revised rates accordingly.

6. This issues with the approval of the Competent Authority, SEEPZ-SEZ.

Digitally signed by
Mayur R Mankar
Date: 02-06-2026
13:44:08

(मयूर मानकर)

संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़ प्राधिकरण, मुंबई

Copy to: -

1. All unitholders and public utilities, SEEPZ-SEZ
2. SGJMA, SEEPZ-SEZ
3. SEEMA, SEEPZ-SEZ
4. Finance Section, SEEPZ-SEZ
5. Rise ERP, SEEPZ-SEZ
6. SEEPZ website